

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांक एफ 6(21)प्र.शु./अनु-3/2006(1)

जयपुर, दिनांक: 9.7.2010

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.2006 के अधिकरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की धारा 12(1) के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राज्य में राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	मा.मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2	मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
3	मा. मंत्री, जल संसाधन विभाग	सदस्य
4	मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सदस्य
5	मा. मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
6	मा. मंत्री, विधि विभाग	सदस्य
7	मा. मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग	सदस्य
8	मा. मंत्री, वन विभाग	सदस्य
9	मा. मंत्री, कृषि विभाग	सदस्य
10	मा. राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
11	मुख्य सचिव	सदस्य
12	अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)	सदस्य
13	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
14	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
15	प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग	सदस्य
16	प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग	सदस्य
17	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
18	प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
19	आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
20	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन	सदस्य
21	शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग	सदस्य
22	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
23	निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	सदस्य
24	आयुक्त एवं सचिव, ईजीएस	सदस्य सचिव

मनोनीत सदस्य :-

इस परिषद में जनप्रतिनिधि का मनोनयन 2 वर्ष या शेष सायकल की अवधि जो भी पहले हो, कि अवधि के लिए किया जावेगा जिसके आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

- | | | |
|---|-------------------|-------|
| 1 | दो माननीय सांसदों | सदस्य |
| 2 | दो माननीय विधायक | सदस्य |

इस परिषद में जनप्रतिनिधि/गैरसरकारी सदस्यों/श्रम संगठनों का मनोनयन 2 वर्ष या शेष कार्यकाल की अवधि जो भी पहले हो कि अवधि के लिए निम्नानुसार किया जाता है :-

1	श्री अजीतसिंह महुआ, जिला प्रमुख, दोसा	सदस्य
2	श्री हनुमान प्रसाद, जिला प्रमुख, झुन्झुनु	सदस्य
3	श्रीमती शमा बानो, प्रधान पं.स.चौहटन	सदस्य
4	श्री हर्तिग खडिया, प्रधान पं.स. कुशलगढ	सदस्य
5	श्रीमती अरुणा राय, मजदूर किसान शक्ति संगठन	सदस्य
6	सेवा मन्दिर, उदयपुर	सदस्य

राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित रूप से कार्य सम्पादित किये जायेंगे :-

- 1 स्कीम और राज्य में उसके कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- 2 अधिमानित कार्यों का अवधारण करना।
- 3 समय समय पर मॉनीटरिंग और प्रतितोष तंत्र (Redressal Mechanism) का पुनर्विलोकन करना तथा अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना।
- 4 इस अधिनियम और इसके अधीन स्कीमों के संबंध में जानकारी के विस्तृत संभव प्रसार का Promote करना।
- 5 राज्य में इस अधिनियम और स्कीम के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करना तथा ऐसे क्रियान्वयन का केन्द्रीय परिषद के साथ समन्वय करना।
- 6 राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- 7 अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1 (ix) के अनुसार नये कार्यों को अनुमत सूची में सम्मिलित कराने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करना।
- 8 योजना का अन्य योजनाओं के साथ तालमेल एवं डाउटेलिंग के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित कराना।
- 9 कोई अन्य कर्तव्य और कृत्य जो उसे केन्द्रीय परिषद और राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किया जाए।

राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी का गठन अस्थायी रूप से 5 वर्ष के लिए होगा जो बाद में योजना के निरन्तरता के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा परिषद की बैठक प्रत्येक 6 माह में अथवा आवश्यक होने पर आयोजित की जा सकेगी। इस समिति का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास विभाग होगा।

आज्ञा से


राजेश सायन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय / प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं प.राज विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
5. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
6. निजी सचिव, माननीय मंत्री, विधि विभाग।
7. निजी सचिव, माननीय मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग।
8. निजी सचिव, माननीय मंत्री, वन विभाग।
9. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि विभाग।

